मुख्यमंत्री ने भी झांककर महसूस की ऊंचाई, 15 सितम्बर की समयसीमा प्राधिकरण ने तय की, अभी एक लेन चालू करने से नीचे बन रही सर्विस रोड निर्माण को मिलेगी रफ्तार

एप्रोच सहित डेढ़ किलोमीटर लम्बा और 76 फीट ऊंचा है डबल डेकर ब्रिज

● इंदौर।

आधुनिक तकनीक और उन्नत इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट उदाहरण लवकुश चौराहा पर 175 करोड़ रुपए की लागत से बना डबल डेकर ब्रिज है। कल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यह बात कहते हुए इस ब्रिज की एक लेन का शुभारंभ किया। एप्रोच रोड सहित इस ब्रिज की कुल लम्बाई डेढ़ किलोमीटर है, तो ऊंचाई 76 फीट यानी जमीन से इतना अनूठा पहला ब्रिज है। मुख्यमंत्री ने सिंगल लेन का शुभारंभ करते हुए ऊपरी हिस्से से नीचे झांकते हुए इस ऊंचाई को महसूस किया।

प्राधिकरण सीईओ डॉ. परीक्षित झाड़े ने बताया कि उज्जैन सिंहस्थ के मद्देनजर भी यह ब्रिज अत्यंत उपयोगी रहेगा और अभी उज्जैन की ओर से आने वाले यातायात को सीधे बाणगंगा की तरफ इस ब्रिज के जरिए निकाला जा सकेगा और इसके नीचे जो सर्विस रोड बनाई जा रही है उसके काम में भी गति आएगी, क्योंकि अभी चलते यातायात के बीच काम करना मुश्किल हो रहा था। यह डबल डेकर फ्लायओवर पूरी

तरह से 15 सितम्बर तक तैयार हो जाएगा और मुख्यमंत्री ने भी पूरा ब्रिज तैयार होने पर बड़ा समारोह आयोजित करने की घोषणा भी कल की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस परियोजना की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी त्रिस्तरीय यातायात व्यवस्था होना। प्रथम स्तर पर लवकुश चौराहे का सामान्य यातायात, द्वितीय स्तर पर वर्तमान फ्लाईओवर एवं मेट्रो रेल कॉरिडोर तथा तृतीय स्तर पर नया डबल लेयर फ्लाईओवर है। इससे चौराहे पर यातायात का दबाव कम होगा तथा निर्बाध आवागमन सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ब्रिज का अवलोकन कर इसकी सराहना भी की। बताया गया कि इस ब्रिज का निर्माण इंदौर विकास प्राधिकरण ने किया है। लगभग 1450 मीटर लंबाई के इस फ्लाईओव्हर के निर्माण में 22 मीटर की ऊंचाई पर 65 मीटर लंबे एवं 24 मीटर चौड़े स्पान पर दो 400-400 टन वजनी स्टील बो-स्ट्रिंग गर्डर स्थापित किए गए हैं। कुल 800 टन स्टील संरचना का उपयोग इस परियोजना को प्रदेश की महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग उपलब्धियों में शामिल करता है। कार्यक्रम में बताया गया कि इस परियोजना के प्रस्तावित कार्य में स्लिप रोड/ एट-ग्रेड रोड/सर्विस रोड को चौड़ा करना और उससे जुड़े अन्य काम शामिल है।

इंदौर में बनेंगे पुलिसकर्मियों के लिए 604 मकान

● इंदौर।

प्रदेशभर में 25 हजार पुलिसकर्मियों के मकान बनाए जाना है, जिस पर साढ़े 5 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च होगी। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत इस योजना पर अमल करने वाली एजेंसी मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम के अलावा स्थानीय हाउसिंग बोर्ड भी रहेगा। दूसरी तरफ पुलिस विभाग में भर्ती प्रक्रियाभी शुरू हो गई और कल एक ही दिन में 9662 पदों को मंजूरी दी गई, वहीं इंदौर में भी 604 नए मकान पुलिसकर्मियों के लिए अभी पहले चरण में निर्मित किए जा रहे हैं। अभी फिलहाल जो 3 हजार मकान प्रदेश में बनवाए जा रहे हैं उनमें सीएसपी, डीएसपी, एएसआई, इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही-हवलदार तक के आवास शामिल रहेंगे। पुलिस मुख्यालय ने कल ही इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देशों पर गृह विभाग ने पुलिस की विभिन्न इकाइयों में तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के अराजपत्रित सूबेदार (अ) शीघ्र लेखक के 135 पद और सहायक उपनिरीक्षक (अ) के 520 पद, इस तरह 655 पदों पर सीधी भर्ती के लिए प्रशासकीय स्वीकृति के लिए आदेश जारी किया है। इसी तरह एक अन्य आदेश में अराजपत्रित सूबेदार के 81 पद, उपनिरीक्षक (जिला पुलिस बल) के 312 पद, उपनिरीक्षक (विसबल) के 69 पद, उपनिरीक्षक (क्यूडी) के 04 पद, उपनिरीक्षक (अंगुल चिन्ह) के 22 पद, उपनिरीक्षक (आयुध) के 10 पद, उपनिरीक्षक फोटो के 09 पद, इस प्रकार 507 पदों पर सीधी भर्ती के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य शासन द्वारा सर्वाधिक पद तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के आरक्षक (जीडी) की नियुक्ति के लिए स्वीकृत किए गए हैं। इस संबंध में आदेश जारी कर 7500 पद स्वीकृत किए गए हैं। गृह विभाग ने एक अन्य आदेश में तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के आरक्षक (चालक) के 1000 पदों के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है।

लावारिस पड़ी अलमारियों में भरा है रिकॉर्ड, एक भी विभागीय अधिकारी को नहीं सौंपी जिम्मेदारी

116 साल पुरानी खसरा शीट, सिटी प्लान, कॉलोनियों के ले-आउट सहित बेशकीमती दस्तावेजों का सर्वे और ड्राइंग सेक्शन निगम में हो गया समाप्त

इंदौर। नित नए घोटालों के पहाड़ पर बैठे नगर निगम में फाइलों का गायब हो जाना भी सामान्य बात है, जिसके चलते रिकॉर्डों को सुरक्षित करने के लिए डिजिटाइजेशन का काम भी चल रहा है। दूसरी तरफ जनकार्य विभाग से जुड़े एक महत्वपूर्ण सर्वे और ड्राइंग सेक्शन विभाग भी इन दिनों निगम से गायब हो गया है। एक भी अधिकारी या नियमित कर्मचारी इस विभाग के लिए पदस्थ नहीं है। सिर्फ कागजों पर दो मस्टरकर्मियों को नियुक्त कर रखा है, जिनके पास इस विभाग को छोड़कर अन्य कार्य हैं।

लावारिस पड़ी अलमारियों में 116 साल पुरानी खसरा शीट, सिटी प्लान, शहर की पुरानी कॉलोनियों के ले-आउट, श्मशान घाट से लेकर पानी की निकासी की ड्राइंग सहित अति महत्वपूर्ण दस्तावेज धूल खा रहे हैं, जिन्हें संरक्षित करने की सुध निगम के जिम्मेदारों को नहीं है, जबकि पहले इस विभाग में कई वरिष्ठ अधिकारियों की पदस्थापना होती रही है। होलकर राज से लेकर बाद के वर्षों तक के कई रिकॉर्ड नगर निगम में मौजूद हैं, जो कि भविष्य की प्लानिंग से लेकर वर्तमान स्थिति के लिए बनने वाली योजनाओं में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। यही कारण है कि वर्षोंपूर्व सर्वे एवं ड्राइंग सेक्शन बनाया गया, जिसमें शहर की सभी सम्पत्तियों से जुड़े दस्तावेज, उसकी ड्राइंग-डिजाइन, 1975 के सिटी प्लान से जुड़े दस्तावेजों के साथ-साथ 1910 की खसरा शीटें भी मौजूद रही हैं। इतना ही नहीं सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा आवंटित जमीनें, विकसित की गई कॉलोनियों के ले-आउट और शहर से जुड़ी ऐसी तमाम जानकारियां जो

कहीं नहीं मिलेंगी, वो इस सेक्शन में मौजूद रही हैं। 4 से 5 अलमारियों और एक लकड़ की टेबल में ये महत्वपूर्ण दस्तावेज लावारिस स्थिति में निगम की नई बिल्डिंग चौथी मंजिल पर पटक रखे हैं। यहां तक कि अदालतों में चल रहे विभिन्न प्रकरणों में भी ये दस्तावेज उपयोगी साबित होते रहे हैं। इस विभाग में एनके गावड़े, एसएस घोड़के, वीवी कोठारी सहित कई जिम्मेदार अधिकारी पदस्थ रहे हैं, जिन्होंने पूरी मेहनत से इन दस्तावेजों को संभालकर रखा। मगर बीते कुछ समय से पुराने अधिकारियों के सेवानिवृत्त हो जाने के बाद किसी भी नए अधिकारी या कर्मचारी की पदस्थापना इस सर्वे और ड्राइंग सेक्शन के लिए नहीं की गई। निगम के जानकारों का कहना है कि निजी कंसल्टेंट, इंजीनियरों को फायदा पहुंचाने के लिए निगम के इस महत्वपूर्ण विभाग को खत्म किया गया। दो मस्टरकर्मी आदित्य और अंकित तिवारी की कागजों पर इस विभाग में नियुक्ति कर रखी है, जिनके पास झोन से जुड़े दूसरे काम भी हैं। इसी विभाग में पदस्थ रहे गावड़े से जब अग्निबाण ने चर्चा की तो उन्होंने कहा कि इतने महत्वपूर्ण और बेशकीमती दस्तावेज कहीं नहीं मिल सकते, जो इस सर्वे और ड्राइंग सेक्शन के पास हैं, जिसके चलते इन दस्तावेजों को संरक्षित करने और जिम्मेदार अधिकारी की पदस्थापना करने की जरूरत है। भवन अनुज्ञा शाखा से लेकर अन्य विभागों से जुड़े रिकॉर्ड भी यहां पर मौजूद हैं।

Bank of India
रिश्तों की जमापूंजी
Relationship beyond banking

आंचलिक कार्यालय : स्टार हाउस, प्लॉट 9-आरसी, स्कीम नं. 134, एम.आर.-10, स्टार चौराहे के पास, इन्दौर - 4520 010, फोन 2445141-117-134

ई-निलामी द्वारा वाहन विक्रय सूचना (ई-नीलामी तिथि 11.08.2026, प्रातः 11.00 बजे से 5.00 शाम बजे तक

हमारी शाखा द्वारा जप्त किये एवं वाहनों का ''जहां है जैसा है'' आधार पर निविदा द्वारा विक्रय किया जाना प्रस्तावित है:

क्र.	शाखा का नाम एवं उधारकर्ता का नाम	वाहन का विवरण	आरक्षित मूल्य (लाख में) ई.एम.डी.(लाख में) बोली वृद्धि राशि (लाख में)
1.	शाखा: राऊ, सुश्री दामिनी सेंगर	Make & Model:- TATA MOTORS LIMITED/ INTRA V30 PICK UP CX CLB/ 2024 Registration No:- MP09-DP-3642 Chassis No:- MAT535346RYB16915, Engine No:- 1.5CR09BVXS16915 Colour :- White	4,37,400.00 43,740.00 5,000.00
2.	शाखा: राऊ, सुश्री दामिनी सेंगर	Make & Model:- TATA MOTORS LIMITED/ INTRA V30 PICK UP CX CLB/ 2024 Registration No:- MP09-DP-3655 Chassis No:- MAT535346RYD14150, Engine No:- 1.5CR09DVXS40058 Colour :- White	4,37,400.00 43,740.00 5,000.00
3.	शाखा: गोपूर स्क्वायर, महेश कुमार मदनलाल सोलंकी	Make & Model:- SUPER METRO INDUSTRIES/ SUPER METRO 100(E-RICKSHAW) Registration No:- MP09FD7440 Chassis No:- MD9SERC23KM389129, Engine No:- SM123AM00129	30,800.00 3,080.00 2,500.00
4.	शाखा : वाय एन रोड, पुजा यादव	Make & Model:- CONTINENTAL ENGINES PVT LTD/ BAXY RATHE (E-RICKSHAW) / 2023 Registration No:- MP09DD4586 Chassis No:- MCS5EDP27RAH49102, Engine No:- AA0032	45,900.00 4,590.00 2,500.00

ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें : 1. नीलामी बिक्री / बोली, वेबसाइट **https://baanknet.com**, के माध्यम से ऑनलाइन इलेक्ट्रानिक बिडिंग प्रक्रिया द्वारा की जायेगी। 2. बोलीकर्ताओं की सुविधा के लिए वेबसाइट **https://baanknet.com** में जा कर देख सकते हैं। 3. बोली राशि आरक्षित मूल्य से अधिक होनी चाहिए। 4. सर्वाधिक/सफल बोलीकर्ता का विक्रय के सम्बंध में अधिकृत अधिकारी द्वारा बोली स्वीकार करने के बाद बोली/क्रय मूल्य के 25 प्रतिशत के बराबर की राशि में पहले से जमा बयाना राशि घटाकर शेष बची राशि अगले कार्यदिवस में जमा कराना होगा। अन्यथा उसकी बयाना राशि जब्त कर ली जायेगी। 5. क्रयमूल्य कि 75 प्रतिशत राशि का भुगतान अधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री कि पुष्टि करने से 15 दिन या उससे पहले अथवा उस बढ़ाई हुई अवधि के भीतर शेष राशि जमा नहीं करा पाने कि दशा में जमा राशि को जब्तकर लिया जायेगा एवं अधिकृत अधिकारी बैंक नीलामी को रद्द कर नये सिरे से नीलामी करने हेतु स्वतंत्र होंगे। 6. अधिकृत/सफल बोलीकर्ता की दशा में बयानाराशि का क्रय मूल्य में समायोजित कर दिया जायेगा एवं असफल बोलीकर्ताओं को वापस कर दिया जायेगा। बयाना राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। 7. चल सम्पत्ति का **जैसा है, जहाँ है** एवं बिना किसी सहारे के आधार पर बेचा जायेगा। इच्छुक बोलीकर्ताओं नीलामी में शामिल होने में पूर्व सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार का देय आदि के बारे में जानकारी स्वयं प्राप्त करें। 8. अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास स्व-विवेक से बिना किसी पूर्व सूचना एवं कारण बताये किसी भी बोली को स्वीकृत या अस्वीकृत करने अथवा बिक्री को स्थगित करने/टालने रद्द करने अथवा बिक्री की नियम व शर्तों को संशोधित करने का सम्पूर्ण अधिकार है। 9. सम्पत्ति के क्रेता को सरकार को देय सभी वैधानिक देयक एवं सम्पत्ति से संबंधित सभी वर्तमान एवं भविष्य के कर, दर व देयक वन करना होगा। 10. देय राशि ब्याज और अन्य शुल्कों को छोड़कर हैं। 11. इस नीलामी से संबंधित किसी भी तरह का संशोधन/त्रुटि सुधार/शुद्धिपत्र भविष्य में अखबार के माध्यम से प्रकाशित नहीं किया जायेगा कृपया इच्छुक नियमित रूप से उपर दी गई वेबसाईट से संज्ञान लेवें। 12. इस नीलामी की प्रकिया बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी नहीं बोली लगा सकते। 13. इच्छुक बोलीकर्ता को यूजर आई डी व पासवर्ड स्वयं बनाना है। जिसे बनाने में न्यूनतम 2 दिन का समय लगता है। अतः बोलीकर्ता से निवेदन है कि यूजर आई.डी. अंतिम तिथि से पूर्व ही बना लें। 14. एक बोली लगाने वाला (बोलीकर्ता) होने की स्थिति में बोली फॉर्म में उद्धत बोली राशि में न्यूनतम एकबोली वृद्धि मूल्य की बढ़ोतरी करनी होगी, अन्यथा विक्रय निरस्त/स्थगित किया जायेगा। 15. एकल बोलीदाता के मामले में प्राधिकृत अधिकारी यह सुनिश्चित करें, उक्त बोलीदाता ने एक मूल्य उद्धत किया है जो आरक्षित मूल्य से अधिक है, हल किया गया। इस शर्त का अधिसूचना में स्पष्टरूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

स्थानः इन्दौर,
दिनांकः 23.07.2026

अधिकृत अधिकारी एवं मुख्य प्रबंधक,
बैंक ऑफ इंडिया

ईडी के इंदौर कार्यालय ने मारे छापे, 70 करोड़ के ड्रग तस्करी मामले में तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

इंदौर से मंदसौर तक जुड़े ड्रग तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के तार

● इंदौर।

बीते कुछ समय से ईडी द्वारा इंदौर-भोपाल सहित आसपास के क्षेत्रों में ना सिर्फ छापामार कार्रवाई की गई, बल्कि करोड़ों रुपए की सम्पत्तियों को भी सीज कर दिया गया। इतना के ही चर्चित भूमाफियाओं की जमीनों से लेकर ड्रग तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कई मामले उजागर हुए हैं। इसी कड़ी में ईडी के इंदौर सब झोनल कार्यालय ने लगभग 70 करोड़ रुपए मूल्य की मेसेड्रोन ड्रग्स तस्करी से जुड़ी जांच के सिलसिले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 70 किलो एमडीएमए ड्रग्स की जब्ती की गई।

देशभर में ही ईडी रोजाना मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में कार्रवाई कर रहा है। इसके साथ ही नशामुक्त भारत अभियान के तहत ड्रग तस्करों पर भी शिकंजा कसा गया है। इसी सिलसिले में अभी दो दिन पहले वेदप्रकाश व्यास, दिनेश अग्रवाल और अक्षय अग्रवाल को ईडी ने ड्रग तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। ईडी ने यह जांच इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। यह एफआईआर वेदप्रकाश व्यास, दिनेश अग्रवाल, अक्षय अग्रवाल एवं अन्य के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटांसेज एक्ट, 1985 की धारा 8 और 22 के तहत दर्ज की गई थी। निर्धारित अपराध में लगभग 70 करोड़ रुपये मूल्य की वाणिज्यिक मात्रा में मेफेड्रोन का अवैध कब्जा और तस्करी शामिल है। जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के जरिए अपराध से बड़ी मात्रा में आय अर्जित की और इस नकदी को कई व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक बैंक खातों के माध्यम से संचालित किया। वित्तीय जांच में बड़ी मात्रा में नकद लेन-देन का पता चला है, जो अपराध से अर्जित धन की प्लेसमेंट, लेयरिंग और छिपाने की सुनियोजित प्रक्रिया की ओर संकेत करता है। जांच के दौरान दर्ज किए गए बयानों से यह भी सामने आया है कि आरोपी अपनी नियमित व्यावसायिक गतिविधियों के अलावा मादक पदार्थों की आपूर्ति और तस्करी में भी शामिल थे। जांच के दौरान ईडी के इंदौर कार्यालय ने 17 जुलाई 2026 को मध्यप्रदेश के इंदौर और मंदसौर में कई परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया था। व्यापक खुफिया जानकारी जुटाने और लगातार निगरानी के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान आरोपियों की संपत्तियों, वित्तीय लेन-देन और कारोबारी गतिविधियों से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और अन्य आपत्तिजनक साक्ष्य बरामद एवं जब्त किए गए। मामले में आगे की जांच जारी है। ईडी ने किए गए ट्विट और जारी प्रेस नोट के माध्यम से समाज को यह भी संदेश दिया कि नशामुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अवैध मादक पदार्थों के कारोबार से जुड़े वित्तीय नेटवर्क को खत्म करना भी आवश्यक है, क्योंकि इससे अर्जित हर रुपया संगठित अपराध को मजबूत करता है।